दैनिक
न्याय साक्षी
खबरें खास
रायगढ़, गुरुवार 15 मई 2025
www.nyaysakshi.com

महत्वपूर्ण एवं खास

रेडी टू ईट एवं फोर्टिफाईड आटा निर्माण व आपूर्ति के लिए 20 मई तक मंगाए गए आवेदन

महिला स्व-सहायता समूह महिला बाल विकास विभाग में कर सकते है आवेदन

रायगढ़। जिले के बाल विकास परियोजना/परियोजनाओं के आंगनबाड़ी केन्द्रों में रेडी टू ईट एवं फोर्टिफाईड आटा का निर्माण एवं आपूर्ति करने के लिए फर्म एवं सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत सक्षम महिला स्व-सहायता समूहों से आवेदन मंगाए गए है। इच्छुक महिला स्व-सहायता समूह अपना आवेदन 20 मई 2025 तक कार्यालयीन समय में डाक/कोरियर के माध्यम से कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, रायगढ़ में भेज सकते है। इच्छुक महिला स्व-सहायता समूह इससे संबंधित शर्ते व विस्तृत विवरण एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास/बाल विकास परियोजना समस्त जिला रायगढ़ के कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते है अथवा रायगढ़ जिले की वेबसाईड में https://raigarh.gov.in अवलोकन कर सकते है। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, रायगढ़ में संपर्क कर सकते है।

नदी के पानी में डूबने से हुई एक शावक हाथी की मृत्यु

रायगढ़। रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमंडल अंतर्गत वन परिक्षेत्र घरघोड़ा के ग्राम छर्राटांगर नवापारा टेण्डा, अमलीडीह, डेहरीडीह, चारमार, कटंगडीह में कुल 42 हाथियों का दल विचरण किया जा रहा है। उक्त क्षेत्रों में प्रतिदिन परिसर रक्षक एवं वन प्रबंधन समिति सदस्यों द्वारा हाथियों की ट्रेकिंग किया जा रहा है। 13 मई 2025 को ट्रेकिंग के दौरान कक्ष क्रमांक 1271 आरक्षित वन कटंगडीह परिसर के कुरकुट नदी स्थानीय नाम (मछलीछिवा) के पास पानी में एक रास शावक हाथी उम्र लगभग 3 से 4 माह का मृत अवस्था में पाया गया। उक्त मृत हाथी का पशु चिकित्सकों के दल द्वारा शव परीक्षण उपरांत नदी के किनारे खड़ी पथरीला चट्टान में चढ़ने के दौरान पैर फिसलने से सिर के भार गिरने से सिर का हड्डी (फ्रांटल बोन)टूटने से बेहोश होकर नदी के पानी में डूबने के कारण मृत्यु होना बताया गया। मृत शावक हाथी का पशु चिकित्सकों एवं वन अमला के उपस्थिति में दफन किया गया एवं वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है।

रजिस्ट्री कानून में बदलाव पर 15 मई को होगा कार्यशाला सह प्रशिक्षण

सारंगढ़ के जिला पंचायत सभाकक्ष में होगा आयोजन

सारंगढ़ बिलाईगढ़। उप पंजीयक सारंगढ़ के तत्वाधान में, रजिस्ट्री कानून के सुविधाजनक 10 नए बदलाव को आम जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन सारंगढ़ के जिला पंचायत सभाकक्ष में 15 मई को सुबह 10 बजे किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पंजीयन अधिनियम 1908 की 35 धाराओं में संशोधन किया है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में 3 मई को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ वासियों के लिए रजिस्ट्री में 10 नई सुविधा का शुभारंभ किया है, जिसमें आधार आधारित प्रमाणीकरण, ऑनलाईन सर्च व डाउनलोड सुविधा, भारमुक्त प्रमाण पत्र, एकीकृत कैशलेस भुगतान, वाट्सअप नोटिफिकेशन सेवा, डिजीलॉकर सुविधा, ऑटोडीडजनरेशन, डिजीडॉक सेवा, घर बैठे रजिस्ट्री, स्वतः नामांतरण शामिल है।

रायगढ़ में लैलूंगा पुलिस और साइबर सेल की अंतरर्ज्यीय गांजा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई

उड़ीसा से गांजा लाकर बेचने वाले दो अंतर्राज्यीय गिरोहों का पर्दाफाश, 61 किलो गांजा, 3 कार, 7 मोबाइल, नकद 1.80 लाख समेत 46 लाख से अधिक की संपत्ति जब्त

रायगढ़

रायगढ़ जिले की लैलूंगा पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उड़ीसा से प्रतिबंधित मादक पदार्थ गांजा लाकर क्षेत्र में बेचने वाले दो बड़े गिरोहों का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने दोनों गैंग से जुड़े एक-एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कुल 61 किलो गांजा, तीन कार, 7 मोबाइल फोन (जिसमें एक आईफोन), एक हाथ घड़ी और 1.80 लाख रुपये नकद सहित कुल 46 लाख 36 हजार रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

जानकारी के अनुसार, रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल को सीमावर्ती ओडिशा के बौध जिले से गांजा तस्करी की सूचना मिली थी। इस

पर उन्होंने लैलूंगा पुलिस और साइबर सेल को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। डीएसपी साइबर सेल अनिल विश्वकर्मा और एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्धांत तिवारी के निर्देशन में संयुक्त टीम ने संदिग्धों की निगरानी शुरू की। 13 मई को दोपहर में ओडिशा से गांजा लेकर तस्कर आने की सूचना पर पुलिस ने पाकरगांव के जंगल मार्ग में रेड की। इस दौरान दो कारों में सवार चार तस्करों में से एक आरोपी पुरेन्द्र यादव को मौके से गिरफ्तार किया गया, तीन तस्कर फरार हैं।

पुरेन्द्र यादव गिरोह-

गिरफ्तार पुरेन्द्र यादव ने पूछताछ में बताया कि वह अपने गिरोह के तीन साथियों—रितेश यादव, युगल यादव और यदुमणि यादव के साथ मिलकर उड़ीसा से गांजा लेकर बेचने के लिए लाया था। आरोपियों ने क्रेंजा कार CG-14–MO-8202 तथा स्वीफ्ट कार नंबर CG-10-AT-6949 (जिसमें फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थी) तस्करी को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपी पुरेंद्र यादव और अन्य तीन पर थाना लैलूंगा में अपराध क्रमांक 128/2025 धारा 20B,29 NDPS Act के तहत कार्यवाही की गई है। आरोपी से मिली जानकारी पर एक अन्य गिरोह से जुड़े आरोपी दिनेश यादव को भी लैलूंगा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो पूर्व में भी गांजा तस्करी के मामलों में लिप्त रहा है।

दिनेश यादव गिरोह-

दिनेश यादव ने पुलिस को बताया कि उसने 1 मार्च को अपने साथियों केशव यादव और नत्थू यादव के साथ मिलकर उड़ीसा से 60 किलो गांजा लाया था। इसमें से उसने खुद 17 किलो गांजा रखा और बाकी गांजा गिरधारी यादव और नत्थू यादव को बेचने के लिए दिया था। लैलूंगा पुलिस ने 8 मार्च को केशव और नत्थू को 22 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार कर थाना ले लूंगा कि अपराध क्रमांक 58 /2025 धारा 20B, 29 एनडीपीएस एक्ट में पहले ही जेल भेज दिया था, जबकि गिरधारी और दिनेश यादव तब से फरार थे।

गिरफ्तार दिनेश यादव से पुलिस ने 1.80 लाख रुपये नकद, OD-15-R-4047 नंबर की वेन्यू कार, छह मोबाइल (एक आईफोन सहित), एक हाथ घड़ी जब्त की है। तस्करी में प्रयुक्त कारों पर आरोपी फर्जी नंबर प्लेट लगाते थे ताकि उनकी पहचान न हो सके। फरार तस्करों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।

इस कार्रवाई में पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के कुशल निर्देशन के साथ उप पुलिस अधीक्षक अनिल विश्वकर्मा, एसडीओपी सिद्धांत तिवारी, थाना प्रभारी उपनिरीक्षक इगेश्वर यादव, उपनिरीक्षक चंद्र कुमार सिंगार, आरक्षक संतराम केवर्ट, जागेश्वर मरावी, चमार साय, सुरेश मिंज, साइबर सेल के प्रधान आरक्षक राजेश पटेल, बृजलाल गुर्जर, आरक्षक प्रशांत पंडा, पुष्पेंद्र जाटवर, प्रताप बेहरा, रविंद्र गुप्ता की अहम भूमिका रही।

आरोपी –

(1) पुरेन्द्र यादव पिता पिताम्बर यादव उम्र 18 वर्ष सा0हरदीझरिया थाना बागबहार जिला जशपुर (छत्तीसगढ़) Cr.No. 128/2025 Us 20B,29 NDPS Act

(2) दिनेश यादव पिता त्रिलोचन यादव उम्र 20 साल निवासी सिहारधार थाना लैलूंगा जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़) Cr.No. 58/2025 Us 20B,29 NDPS Act

जब्त संपत्ति का ब्यौरा:

- गांजा – 61 किलो (कीमत रु.6,10,000 अनुमानित)
- नकद – रु.1,80,000
- वाहन – तीन कार स्वीफ्ट, क्रेंजा और वेन्यु कार (CG-14–R-8202, CG-10-AT-6949, OD-15-R-4047)
- 7 मोबाइल फोन – 6 (जिसमें एक आईफोन)
- एक हाथ घड़ी

कुल अनुमानित मूल्य – रु.46,36,000

एनक्यूएएस टीम ने किया शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गांधीनगर का निरीक्षण

❑ अस्पताल की सेवाओं और संतुष्टि स्तर का विभिन्न मानकों का किया गया परीक्षण

रायगढ़

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संचालित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गांधीनगर जूटमिल, रायगढ़ का एनक्यूएएस टीम ने दो दिवसीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विशेषज्ञों की टीम ने अस्पताल की सेवाओं और संतुष्टि स्तर का विभिन्न मानकों पर परीक्षण किया। जिसमें उपलब्ध सेवाएं, मरीजों के अधिकार, इनपुट, सपोर्ट सर्विसेस, क्लिनिकल सर्विसेस, इन्फेक्शन कंट्रोल, गुणवत्ता प्रबंधन और आउटकम जैसे पैरामीटर शामिल है। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा के साथ-साथ वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यास के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। इन मानकों पर खरा उतरने वाले अस्पतालों को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता प्रमाण-पत्र जारी किए जाते है। विशेषज्ञों की टीम में आंध्रप्रदेश विजयवाड़ा के डॉ.सुरेन्द्र नाथ ऐन्डी एवं उड़ीसा भुवनेश्वर लक्ष्मीप्रिया मिश्रा शामिल थी। उन्होंने अस्पताल के 12 विभागों का मूल्यांकन किया और सेवाओं की गुणवत्ता का आंकलन किया।

इस अवसर पर सीएमएचओ डॉ.अनिल कुमार जगत, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ.जी.एस.पैंकरा, डॉ.अन्नू पटेल, डीपीएम रंजना पैंकरा, डॉ.सोनाली मेश्राम, डॉ.राजेश मिश्रा सहित अस्पताल के अधिकारी एवं कर्मचारी, क्षेत्रीय एमटी मितानिन उपस्थित रहे।

संजय मार्केट से चोरी हुई बाइक के साथ शातिर आरोपी गिरफ्तार

❑ मुखबिर की सूचना पर केवड़ाबाड़ी बस स्टेशन से पकड़ा गया आरोपी, बाइक चोरी की वारदात कबूली

रायगढ़

बाइक चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के निर्देशन एवं सीएसपी आकाश शुक्ला के मार्गदर्शन पर कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक सुखनंदन पटेल की टीम ने बीते माह संजय मार्केट से चोरी गई बाइक के साथ एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बलराम साहू को केवड़ाबाड़ी बस स्टेशन के पास मुखबिर की सूचना पर चोरी की बाइक के साथ दबोचा गया।

पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ में कबूला कि उसने 10 अप्रैल को संजय मार्केट से हीरो एचएफ डिलक्स बाइक क्रमांक CG13 W 1632 चोरी की थी। वह बाइक को लुक-छिपाकर खुद उपयोग कर रहा था। पुलिस ने आरोपी से बाइक जप्त कर ली है। उल्लेखनीय है कि बाइक चोरी की इस घटना की रिपोर्ट 12 अप्रैल को जूटमिल थाना क्षेत्र के राजीव गांधी नगर, दर्रीमुड़ा निवासी महादेव साहू ने कोतवाली में दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि वे सब्जी का काम करने संजय मार्केट आए थे, जहां से उनकी बाइक चोरी हो गई।

इस संबंध में कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 151/2025 धारा 303(2) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू की थी। मुखबिर से मिली सूचना पर संदेही बलराम साहू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की बाइक बरामद की गई। आरोपी बलराम साहू, पिता स्व. जगमोहन साहू, उम्र 28 वर्ष, निवासी सोनुमुड़ा, काली मंदिर के पास, वार्ड क्रमांक 42, थाना जूटमिल, रायगढ़ के विरुद्ध पहले से भी चोरी और मारपीट के मामले दर्ज हैं।

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी सुखनंदन पटेल के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक विक्रम चौरसिया, आरक्षक कमलेश यादव, मनोज पटनायक की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस अब आरोपी के अन्य आपराधिक नेटवर्क और पुरानी चोरी की घटनाओं की भी जांच कर रही है।

नौकरी का झांसा देकर 7 लाख की ठगी करने वाला आरोपी बिलासपुर से गिरफ्तार

❑ आरोपी ने एचआर अफसर बताकर व्यवसायी की बेटी को नौकरी दिलाने का दिया था लालच

रायगढ़

कोतरारोड़ क्षेत्र निवासी विजय कुमार गर्ग ने दो साल पहले अपनी बेटी को नौकरी दिलाने की उम्मीद में एक कथित एचआर अधिकारी को 7 लाख रुपये सौंप दिए थे, लेकिन न नौकरी मिली और न ही पैसे वापस हुए। आखिरकार मामले की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शिवदयाल तिवारी को पुलिस ने बिलासपुर से धरदबोचा और न्यायिक रिमांड पर भेजा है।

23 जनवरी 2024 को प्रार्थी विजय कुमार गर्ग, निवासी विकास नगर गली नंबर-3 कोतरारोड़, ने थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2019 में रायगढ़ स्थित उनके कार्यालय में शिवदयाल तिवारी नामक व्यक्ति से पहचान हुई थी, जिसने खुद को स्थानीय कंपनी में एचआर पद पर कार्यरत बताया था। बातचीत के दौरान उसने दावा किया कि उसकी कंपनी में ऊंचे पदों तक पहुंच है और वह मैनेजमेंट कोटे से किसी को भी नौकरी दिलवा सकता है। शुरुआत में विजय गर्ग ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन कई बार वह अपने साथ कुछ लोगों को कार्यालय लेकर आया जो नौकरी का लेटर दिखाते और उसे पैसे थमाते थे। इस पूरे माहौल से प्रभावित होकर विजय गर्ग और उसके साथी संदीप चौधरी निवासी नंदेली ने दो लाख रुपये नकद और बाद में पांच लाख रुपये बैंक खाते में ट्रांसफर किए।

शिवदयाल तिवारी ने यह रकम मई से जुलाई 2020 के बीच विभिन्न तारीखों में ली थी और नौकरी दिलवाने का भरोसा दिलाता रहा। लेकिन महीनों बीतने के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो विजय गर्ग ने उससे लगातार संपर्क करना शुरू किया। मोबाइल बातचीत और चैटिंग के माध्यम से वह केवल बहाने बनाता रहा। इसी दौरान उन्हें यह भी पता चला कि नंदेली निवासी संदीप चौधरी का भी काम नहीं हुआ।

ठगी का अहसास होने पर विजय गर्ग ने पुलिस में शिकायत दी, जिस पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 57/2024 धारा 420 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी की तलाश में पुलिस टीम को उसके बिलासपुर स्थित वर्तमान पते पर भेजा गया, जहां वह लगातार पुलिस से आंख-मिचौली कर रहा था। थाना प्रभारी निरीक्षक सुखनंदन पटेल द्वारा मुखबिर सक्रिय किए गए थे। मुखबिर से मिली सूचना पर उप निरीक्षक संजय नाग के नेतृत्व में टीम ने बिलासपुर से आरोपी को गिरफ्तार कर रायगढ़ लाया।

पूछताछ में आरोपी शिवदयाल तिवारी, पिता चंद्रदेव तिवारी, उम्र 39 वर्ष, निवासी केम्प सर्व सेवा संघ, राजघाट, वाराणसी (मकान नं. 37, थाना राजघाट, जिला वाराणसी), वर्तमान पता डी-17 शिवम सिटी, मोपका, थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर, ने बताया कि प्राप्त रकम उसने पारिवारिक शादी और घरेलू खर्चों में खर्च कर दी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध प्रमाणित पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

एसपी दिव्यांग पटेल के दिशा निर्देशन एवं सीएसपी आकाश शुक्ला के मार्गदर्शन पर इस कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सुखनंदन पटेल, उप निरीक्षक संजय नाग तथा उनकी टीम की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस अब आरोपी द्वारा ठगे गए अन्य लोगों की भी जानकारी जुटाने में लगी है।

डीएमएफ घोटाला : रानू साहू, सौम्या चौरसिया सहित चार आरोपियों की जमानत याचिकाएं हाईकोर्ट ने की खारिज

बिलासपुर । आरएनएस

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित डीएमएफ (जिला खनिज न्यास) घोटाले मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व आईएएस अधिकारी रानू साहू, पूर्व मुख्यमंत्री के उप सचिव सौम्या चौरसिया, एनजीओ संचालक मनोज कुमार, और सूर्यकांत तिवारी की स्थायी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एफआईआर और केस डायरी में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि आरोपियों ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (धारा 7 और 12) के अंतर्गत आर्थिक अपराध को अंजाम दिया है। रिकॉर्ड की सामग्री से यह भी प्रतीत होता है कि आरोपी घोटाले में प्रत्यक्ष रूप से संलिप्त रहे हैं। अदालत ने यह मानते हुए कि ऐसे मामलों में नियमित जमानत देना न्यायोचित नहीं है, सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।

पीएमश्री स्वामी आत्मानंद विद्यालय में एडमिशन के लिए निकाली गई लॉटरी

सारंगढ़ बिलाईगढ़

पीएमश्री स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल बरमकेला में प्रातः 10 बजे सक्षम शिक्षा नोडल अधिकारी नरेश कुमार चौहान की अध्यक्षता में सत्र 2025 -26 के लिए पहली से 12वीं कक्षा तक रिक्त 126 रिक्त सीटों के विरुद्ध प्रवेश हेतु लाटरी प्रक्रिया द्वारा चयन किया गया। लॉटरी प्रक्रिया के दौरान मुख्य अतिथि हेमसागर नायक अध्यक्ष जनभागीदारी समिति, विधायक प्रतिनिधि मनोहर नायक, नगर उपाध्यक्ष राजू नायक, विमल नायक, प्रभारी प्राचार्य पवन कुमार नायक, एम एल प्रधान व पालकगढ़, विद्यालय स्टाफ एवं बच्चे उपस्थित थे। सक्षम शिक्षा नोडल अधिकारी की उपस्थिति में प्रत्येक सीट के लिए पालकों के द्वारा पर्चियाँ निकाली गई और चयनित नाम को सबके सामने बताया गया और चयनित नाम के अलावा प्रतीक्षा सूची के लिए भी विद्यार्थियों का चयन किया गया। लॉटरी प्रक्रिया के दौरान पालकों की भी सहभागिता रही। तय समयावधि में पूरी चयन प्रक्रिया सम्पन्न कर ली गई है चयनित विद्यार्थियों द्वारा एक सप्ताह में अपना संपूर्ण दस्तावेज जमा करने की निर्देश दिए गए हैं। सप्ताह भर में जमा नहीं करने पर चयनित नाम निरस्त कर दिया जाएगा एवं प्रतीक्षा सूची से नाम चयन किया जाएगा।

नरेश कुमार चौहान सक्षम शिक्षा नोडल अधिकारी ने उपस्थित अभिभावकों को संबोधित करते हुए लॉटरी प्रक्रिया की समस्त जानकारी और नियमों को विस्तार से बताया। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पालन करते हुए लॉटरी प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न किया गया।

प्रवेश के लिए कक्षा पहली के लिए आवश्यक दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का आधार कार्ड, जाति और निवास प्रमाण पत्र तथा दो रंगीन फोटो अनिवार्य हैं।

अन्य कक्षाओं के लिए, पिछली कक्षा की अंकसूची, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, आपार आईडी, पेन नंबर, आधार कार्ड और दो रंगीन फोटो आवश्यक हैं। विद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

जतन केन्द्र से मिल रहा दिव्यांग बच्चों को नया जीवन

सौम्य एवं आर्यन की लौटी आवाज, एक वर्ष में 3051 बच्चें हुए लाभान्वित

रायगढ़

जतन केन्द्र की कुशल टीम ने निःस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं देते हुए जिले में अपनी एक अलग पहचान बनायी है। केन्द्र के प्रभारी डॉ.विवेक उपाध्याय के कुशल नेतृत्व से कार्य संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 में अब तक कुल 3051 बच्चे जतन से लाभान्वित हुए है। जतन केन्द्र में संसाधनों के साथ ही कार्यकुशलता को बढ़ाया जा रहा है। जिसके लिए जतन दल द्वारा मातृ एवं शिशु अस्पताल का भ्रमण कर दिव्यांग बच्चों की शीघ्र पहचान कर उसे

ठीक करने में मदद करेगा। साथ ही आशा वर्कर के माध्यम से विशेष बच्चों की पहचान की जाएगी ताकि जतन केन्द्र से निःशुल्क सुविधाएं ले सकेंगे। इसके साथ ही समय-समय पर विशेष चिकित्सकों की जतन में शिविर आयोजित की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि जिला शीघ्र हस्तक्षेप केन्द्र (जतन)की स्थापना 13 फरवरी 2016 को किया गया था। जिसका संचालन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा किया जाता है। जतन केन्द्र का मुख्य कार्य दिव्यांग बच्चों को शीघ्र पहचान करना तथा उसे ठीक करने के लिए शीघ्र हस्तक्षेप करना है। विगत 9 वर्षों में जतन केन्द्र ने हजारों दिव्यांग बच्चों के जीवन सुधार के साथ ही उनकी मुस्कान लौटाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है।

जतन केन्द्र में विशेष बच्चों के लिए चिकित्सा अधिकारी, मुख एवं दंत चिकित्सक, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, विशेष शिक्षा, नेत्र स्वास्थ्य सुविधा, पोषण तथा आहार विश्लेषण, मनोचिकित्सक परामर्श, सामाजिक विश्लेषण जैसे सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध है। केन्द्र में मुख्य रूप से चिरायु दल द्वारा चिन्हांकित केटेगरी डी के बच्चों का निःशुल्क उपचार एवं रेफरल किया जाता है।

सौम्य एवं आर्यन की लौटी आवाज- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जतन के दंत चिकित्सा केन्द्र के विवेक उपाध्याय ने जीभ के तालू से जुड़े होने की बीमारी से बच्चों को निजात दिलाई है। जिसमें बच्चों का जीभ फ्रिनम के कड़े होने पर, मोटे होने को लीगुंल फ्रैनेक्टमी के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। जिसके तहत 9 वर्षीय सौम्य बारा एवं 5 वर्षीय आर्यन टोप्पो को इस सुविधा का लाभ मिला। इसके अलावा जतन केन्द्र के माध्यम से लगभग 250 बच्चों का सफलता पूर्वक बिना भर्ती हुए आसानी से इलाज किया गया। ये पद्धति आसान और दर्द के बिना, सुन्न करके की जाती है, जिसके पश्चात उसकी भाषा में सुधार आता है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.डी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480